न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी– श्री जगदीश सिंह आशिया,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 107 / 2024

प्रार्थीनी	**बनाम** **प्रतिवादीगण**
राणीदेवी पत्नि अमराराम उम्र 40 वर्ष जाति रैबारी (देवासी) निवासी निम्बली तहसील सिणधरी जिला बालोतरा	1. बांकाराम पुत्र डूंगराराम वयस्क 2. चूनीदेवी पत्नि डूगराराम वयस्क 3. झीमोदेवी पत्नि सुरताराम वयस्क 4. तगाराम पुत्र सुरताराम वयस्क 5. पुखाराम पुत्र सुरताराम वयस्क 6. शेराराम पुत्र कोजाराम वयस्क जातियान राईका निवासीयान निम्बली तहसील सिणधरी जिला बालोतरा। 7. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री पाबुराम बेनिवाल, अधिवक्ता वादी की ओर से उपस्थित।
2. श्री भंवरलाल सारण अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1,2 व 6 की ओर से उपस्थित।
3. प्रतिवादी सं. 07 के पैरोकार उप.। शेष एकतरफा।

निर्णय

दिनांक– 17.04.2025

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता पाने पेश किया है, जिसमें वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है कि प्रार्थिया एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी का अविभाजित खेत खसरा संख्या 7/2 [illegible] 2173 हैक्टेयर मौजा निम्बली पटवार क्षेत्र पायला कलां त[illegible] हुआ है। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीनी का 250/1881 तथा विप्रार्थी संख्या 1 से 2 का 271/1254, 271/1254 हिस्सा, विप्रार्थी संख्या 3 का 200/5643 हिस्सा, विप्रार्थी संख्या 4 का 170/5643 हिस्सा, विप्रार्थी संख्या 5 का 560/56[illegible] व विप्रार्थी संख्या 6 का 508/1881 हिस्सा दर्ज है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य भूमि के सेढो को लेकर झगड़ा रहता है एवं विप्रार्थीगण, प्रार्थी के हिस्से की भूमि एवं उसके कब्जे काश्त में लगातार दंखल अन्दाजी कर रहे है व पुराने मौखिक बंटवाडे अनुसार कायम

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.08 18:15:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

सेढो को तोड रहे है एवं प्रार्थी को उसके कब्जे काश्त से बेदखल करने पर आमादा है तथा मौके पर नया निर्माण आदि कर मौके की स्थिति में रखोबदल करने पर प्रयासरत है तथा प्रार्थी को सडक मार्ग तक नहीं जाने देते है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर खेत खसरा संख्या 7/2 रकबा 15.2173 हैक्टेयर मौजा निम्बली पटवार क्षेत्र पायला खुर्द तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में प्रार्थीनी के कब्जे काश्त की भूमि में विप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 व उसके परिवार सदस्य या एजेन्ट किसी प्रकार की दंखलअन्दाजी व हस्तक्षेप नहीं करें तथा न ही विप्रार्थीगण सुंयक्त खातेदारी भूमि का बैचान करे तथा न ही जबरन प्रार्थीनी को बेदखल करने का प्रयास करें तथा न ही प्रार्थी के हिस्से पर काश्त करें तथा न ही मौके पर किसी प्रकार का कच्चा या पक्का नया निर्माण करें एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने तथा प्राथीर्नी को सड़क मार्ग या कटाण मार्ग तक आने जाने में किसी प्रकार की दुविधा पैदा नहीं करें, इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थीनी के पक्ष में विप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी की जावें।

प्रार्थीया का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण सं. 1,2,6 की तरफ से वकील श्री भंवरालाल सारण उपस्थित। भोश विप्रार्थीगण सं. 3 से 5 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवादी अमल में लाई गई। विप्रार्थीगण सं. 1 , 2 व 6 के अधिवक्ता ने अपने मौखिक कथनों में स्पश्ट किया कि पक्षकारान के मध्य मात्र सामालाती के खातेदारी खेत के विभाजन को लेकर विवाद है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी के पक्ष में किसी प्रकार की निशेधाज्ञा जारी नहीं करवाई जावे।

हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया। कि प्रार्थिया एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी का अविभाजित खेत खसरा संख्या 7/2 रकबा 15.2173 हैक्टेयर मौजा निम्बली पटवार क्षेत्र पायला कलां तहसील सिणधरी जिला बालोतरा का आया हुआ है। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीनी का 250/1881 तथा विप्रार्थी संख्या 1 से 2 का 271/1254, 271/1254 हिस्सा, विप्रार्थी संख्या 3 का 200/5643 हिस्सा, विप्रार्थी संख्या 4 का 170/5643 हिस्सा, विप्रार्थी संख्या 5 का 560/5643 व विप्रार्थी संख्या 6 का 508/1881 हिस्सा दर्ज है। जहां तक प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य भूमि के सेढो को लेकर झगड़ा रहता है एवं विप्रार्थीगण, प्रार्थी के हिस्से की भूमि एवं उसके कब्जे काश्त में लगातार दंखल अन्दाजी कर रहे है व पुराने मौखिक बंटवाडे अनुसार कायम सेढो [illegible] प्रार्थी को उसके कब्जे काश्त से बेदखल करने पर आमादा है तथा मौके पर नया नि[illegible]कर मौके की स्थिति में रखोबदल करने पर प्रयासरत है [illegible] देते है के सन्दर्भ में ऐसा कोई बेदखली अथवा निर्माण से संबंधी [illegible]/सबूत प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे प्रथम दृष्टया यह [illegible] कि विप्रार्थी द्वारा ऐसा को कृत्य कारित किया जा रहा है अथवा किया गया है। प्रार्थी [illegible] द्वारा भी अपने आवेदन के तथ्यों में स्वीकार किया कि सामलाती भूमि पर प्रत्येक पक्षकार का प्रत्येक इन पर समान हक व हिस्सा होता है, ऐसी स्थिति में यह कथन प्रतिपादित नहीं होता

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.08 18:15:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

है कि किसी सहखातेदार को उसके हिस्से में कब्जे काश्त को लेकर पाबन्द किया जावे। जहां तक पक्षकार के कब्जे काश्त के अनुरूप विधिवत बंटवाड़े को प्रश्न है, जो मूलवाद में साक्ष्य सबूतो के आधार पर तय होगा ? ऐसी स्थिति में प्रथम द्रष्टया प्रकरण में अन्तरिम स्थगन आदेश जारी किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 17.04.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.08 18:15:44 IST
Reason: SelfAttested